सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 17/13 निर्णय दिनांकः–12–09–2019

1. रतनीदेवी पत्नी मनफूल जाति मेहतर निवासी गांव फकीरावाली हाल चक 13 केवाईडी 'बी' तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. बद्रीराम पुत्र नत्थूराम जाति हरिजन निवासी चक 13 केवाईडी हाल बड़ी गवाड़ी चुंगी चौकी, बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्व निर्णय दिनांक 20–12–2012
उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला

उपस्थितः–

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मनोज कुमार गीगना, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के निर्णय दिनांक 20–12–2012 जिसके द्वारा अपीलांट का दावा तथ्यों व कानून के विपरीत जाकर खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए कथन किया कि वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आवंटनशुदा भूमि चक 13 केवाईडी 'बी' तहसील खाजुवला के मुरब्बा नम्बर 137/12 के किला नम्बर 1 ता 5 में तादादी 4 बीघा 18 बिस्वा कमाण्ड भूमि जरिये इकरारनामा दिनांक 21—08—1986 को क्रय की गई थी। इकरारनामें के पश्चात् से ही उक्त भूमि अपीलांट् के कब्जे काश्त में चली आ रही है। प्रतिवदीगण के मन में लालच आने के कारण उनके द्वारा उक्त ईकरारनामें के आधार पर विक्रय पत्र तस्दीक नहीं करवाये जाने के कारण अपीलांट/वादी द्वारा ईकरारनामें के आधार पर धोषणात्मक एवं चिरनिषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया जो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये मात्र सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया।

उन्होनें आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र में न तो तनकीयात् कायम की गई ना ही साक्ष्य व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया ना ही प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर निस्तारण किया गया। मात्र यह अंकित करते हुए की गैर खातेदारी भूमि का बिना खातेदारी प्राप्त किये अवैद्य बेचान किया गया है। ऐसी स्थिति में वाद सिविल प्रकृति का होने के कारण वादी इस न्यायालय में से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः वाद वादी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। इस संबंध में अपीलांट/वादी को कोई सूचना व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है तथा यह अंकित करते हुए की गैर खातेदारी भूमि का अवैद्य बेचान किया गया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष धोषणात्मक, चिरनिषेधाज्ञा का वाद दायर किया गया। जिस पर अदालत मातहत ने बिना रिकार्ड का अवलोकन किये बिना कब्जे काश्त की जॉच किये बिना पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान किये मात्र सरसरी तौर पर आदेश पारित करते हुए दावा खारिज किया गया है। प्रकरण में यह निर्विवाद है कि वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित तथा अपीलांट की जरिये ईकरारनामा खरीदशुदा भमि है। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर कोइ गौर किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

जब वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट को आवंटित व अपीलांट की जरिये ईकरारनामा खरीदशुदा सम्पति है तो ऐसी स्थिति में किसी के कानूनी हक को मात्र सरसरी तौर पर खारिज नहीं किया जा सकता है। यह कानून का प्रतिपादित सिद्वान्त है। अदालत मातहत ने उपरोक्त विधिक प्रावधानों पर कोई गौर किये बिना एक अवैद्य आदेश द्वारा अपीलांट का दावा खारिज कर दिया गया जिससे अपीलार्थी को अपने विधिक अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे व प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे कि पत्रावली में सीपीसी के सभी प्रावधानों की पालना करते हुए व अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के एक अवैद्य ईकरारनामें के आधार पर खातेदार धोषित करने की इस्तदुआ की गई है। ईकरारनामें के आधार पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त न होकर सिविल न्यायालय को प्राप्त है। प्रकरण में अपीलांट द्वारा ना तो अदालत मातहत के समक्ष ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई राजस्व दस्तावेजी बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिससे कि अपीलांट के कथनों को कोई बल प्राप्त हो। ऐसी स्थिति में केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अदालत मातहत द्वारा इसी आधार पर अपीलांट/वादी का वाद खारिज किया गया है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि तहसील खाजुवाला के चक 13 केवाईडी 'बी' तहसील खाजुवला के मुरब्बा नम्बर 137/12 के किला नम्बर 1 ता 5 में तादादी 4 बीघा 18 बिस्वा कमाण्ड भूमि जरिये ईकरारनामा दिनांक 21—08—1986 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से क्रय की गई थी तथा उक्त तथाकथित ईकरारनामें के

आधार पर अपीलांट द्वारा खातेदारी धोषणा व चिरनिषेधाज्ञा के बाबत् दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए चाराजोई की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ईकरारनामें के विरूद्व चाराजोई का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त होने के आधार पर राजस्व न्यायालय से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने के कारण अपीलांट/वादी का वाद खारिज किया गया है। प्रकरण में चूंकि यह तथ्य निर्विवाद है कि ईकरारनामें के आधार पर किसी भी प्रकार का अनुतोष सिविल न्यायालय से ही प्राप्त किया जा सकता है, राजस्व न्यायालय को इस प्रकार के ईकरारनामें के आधार पर अनुतोष प्रदान करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर राजस्व न्यायालय किसी प्रकार का कोई अनुतोष अपीलांट को प्रदान नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के इस कथन को स्वीकार भी कर लिया जावे की रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा खातेदारी प्राप्त करने के उपरान्त वादग्रस्त भूमि का बेचान जरिये ईकरारनामा किया गया है, तब भी अपीलांट विधि द्वारा वर्जित दस्तावेज के आधार पर राजस्व न्यायालय से ईकरारनामें के आधार खातेदारी धोषणा व चिरनिषेधाज्ञा का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतया न्यायसंगत व तर्कसंगत आदेश होने के फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील बार्ड बाई लॉ होने के कारण खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20—12—2012 उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 12—09—2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर